

पत्रांक-20/ब० 2-06/2013 211

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

प्रेषक,

अमित कुमार पुष्पक,
उप सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।औपचारिक रूप
से परामर्शित

द्वारा

आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक 24/09/2023

विषय- वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य स्कीम मद अंतर्गत राज्य के मान्यता प्राप्त कुल 66 प्रशिक्षण संस्थान (सूची संलग्न) में बेल्ट्रॉन के माध्यम से संविदा पर कार्यरत डाटा इन्ट्री ऑपरेटर का मानदेय भुगतान हेतु द्वितीय किस्त में 2,64,00,000.00/- (दो करोड़ चौसठ लाख रुपये) की स्वीकृति एवं विमुक्ति की स्वीकृति।

आदेश- स्वीकृत।

महाशय,

राज्य के सरकारी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में डाटा इन्ट्री ऑपरेटर की व्यवस्था बिहार सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लि० (बेल्ट्रॉन) के माध्यम से की गई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत डाटा इन्ट्री ऑपरेटर को बेल्ट्रॉन द्वारा निर्धारित दर से मानदेय भुगतान हेतु द्वितीय किस्त में 2,64,00,000.00/- (दो करोड़ चौसठ लाख रुपये) की स्वीकृति एवं विमुक्ति प्रदान की जाती है।

- राशि का विकलन माँग संख्या-21, मुख्य शीर्ष-2202-सामान्य शिक्षा, उपमुख्य शीर्ष- 80-सामान्य, लघुशीर्ष-001-निर्देशन और प्रशासन, उपशीर्ष-0102-राज्य शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान निदेशालय, विपत्र कोड-21-2202800010102, विषय शीर्ष 0102-28 02-संविदा सेवाएँ के अन्तर्गत होगी।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस स्कीम के अंतर्गत 11,00,00,000/- (ग्यारह करोड़) रुपये का उदव्यय एवं उपबंध प्राप्त है।

- स्वीकृत राशि से वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सरकारी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में कार्यरत डाटा इन्ट्री ऑपरेटर का मानदेय का भुगतान किया जाएगा।
- सम्पूर्ण राशि निदेशक (राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, महेन्द्र, पटना), के निस्ताराधीन होगी। आवंटित राशि की निकासी आवंटन के आधार पर संबंधित शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य द्वारा संबंधित कोषागार से की जायेगी। प्राचार्य राशि के समुचित एवं नियमानुसार उपयोग करने हेतु उत्तरदायी होंगे। संस्थानों की सूची अनुलग्नक-1 पर संलग्न है।
- वित्त विभागीय आदेश संख्या-2561, दिनांक-17.04.1998 एवं वित्त विभाग राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत संकल्प/परिपत्रों अन्य पत्रों में निहित निदेशों के आलोक में राशि व्यय की जाएगी।

6. उक्त राशि की स्वीकृति वित्त विभागीय संकल्प संख्या-12888 दिनांक-03.12.2024 की कड़िका-5 (ख) (ii) के आलोक में चालू स्कीम मानते हुए दी जा रही है।
7. राशि को नियमानुसार व्यय करने के उपरान्त प्रशिक्षण संस्थान द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना को राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, महेन्द्र, पटना के माध्यम से ससमय उपलब्ध कराया जाएगा।
8. भारत सरकार के नियंत्रक महालेखा परीक्षक एवं राज्य के वित्त (अंकेक्षण एवं लेखा) को यह अधिकार होगा कि स्वीकृत राशि का लेखा-जोखा का अंकेक्षण कर सकेंगे।
9. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या- 20/ब० 2-06/2013 (अंश-क) के पृष्ठ संख्या. ...233.../टि० पर दिनांक-...17.9.23...को प्राप्त है।
10. राशि का विचलन अन्य मदों में किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा।
11. राशि की स्वीकृति में समक्ष प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(अमित कुमार पुष्पक)

उप सचिव, शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक- 20/ब० 2-06/2013 (अंश-क) 211 पटना, दिनांक 24/09/2025
प्रतिलिपि:-प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उप सचिव, शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक:- 20/ब० 2-06/2013 (अंश-क) 211 पटना, दिनांक 24/09/2025
प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, महेन्द्र, पटना के निजी सहायक/ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, महेन्द्र, पटना/लेखा पदाधिकारी, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, महेन्द्र, पटना/लेखापाल, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, महेन्द्र, पटना/रोकड़पाल/विपत्र लिपिक (दो प्रतियों में)/संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी प्राचार्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उप सचिव, शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक- 20/ब० 2-06/2013 (अंश-क) 211 पटना, दिनांक 24/09/2025
प्रतिलिपि:-वित्त विभाग बजट शाखा एवं प्रशाखा-5/बजट पदाधिकारी/बजट शाखा/लेखा शाखा, शिक्षा विभाग/प्रशाखा-20, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (बेल्ट्रॉन)/आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उप सचिव, शिक्षा विभाग।

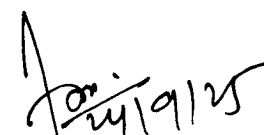
अनुलग्नक-1

वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य के सरकारी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत डाटा इन्ट्री ऑपरेटर का मानदेय भुगतान हेतु द्वितीय किस्त की राशि की स्वीकृति।

क्र० सं०	प्रशिक्षण महाविद्यालय का नाम	जिला	द्वितीय किस्त
1	2	3	4
1	अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय, तुर्की	मुजफ्फरपुर	400000
2	अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय, समस्तीपुर	समस्तीपुर	400000
3	अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय, छपरा	सारण	400000
4	अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय, सहरसा	सहरसा	400000
5	अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय, गया	गया	400000
6	अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय, भागलपुर	भागलपुर	400000
7	डायट, विक्रम	पटना	400000
8	डायट, सोनपुर	सारण	400000
9	डायट, पंचायती अखाड़ा	गया	400000
10	डायट, नरार	मधुबनी	400000
11	डायट, पूरबसराय	मुंगेर	400000
12	डायट, श्रीनगर	पूर्णिमा	400000
13	डायट, पिरैटा	भोजपुर	400000
14	डायट, डुमरा	सीतामढ़ी	400000
15	डायट, मुरौल, रामबाग	मुजफ्फरपुर	400000
16	डायट, खिरनीघाट, भागलपुर	भागलपुर	400000
17	डायट, दीधी	वैशाली	400000
18	डायट, फजलगंज, सासाराम	रोहतास	400000
19	डायट, नवादा	नवादा	400000
20	डायट, शाहपुर, बेगूसराय	बेगूसराय	400000
21	डायट, पूसा	समस्तीपुर	400000
22	डायट, मधेपुरा	मधेपुरा	400000
23	डायट, कुमारबाग	प० चम्पारण	400000
24	डायट, सीवान	सीवान	400000
25	डायट, तरार, दाउदनगर	औरंगाबाद	400000
26	डायट, टीकापट्टी	कटिहार	400000
27	डायट, किलाघाट, अलपट्टी	दरभंगा	400000
28	डायट, थावे	गोपालगंज	400000
29	डायट, नूरसराय	नालन्दा	400000
30	डायट, छतौनी, मोतिहारी	पूर्वी चम्पारण	400000
31	डायट, फारबिसगंज	अररिया	400000
32	डायट, बाँका	बाँका	400000
33	डायट, डुमराँव	बक्सर	400000
34	डायट, मोहनिया	कैमूर	400000
35	डायट, रामगंज	खगड़िया	400000
36	डायट, लखीसराय	लखीसराय	400000

37	डायट, शेखपुरा	शेखपुरा	400000
38	डायट, शिवहर	शिवहर	400000
39	डायट, किशनगंज	किशनगंज	400000
40	प्रा० शि० शि० महाविद्यालय, बाढ़	पटना	400000
41	प्रा० शि० शि० महाविद्यालय, मसौढ़ी	पटना	400000
42	प्रा० शि० शि० महाविद्यालय, बिहियाँ	भोजपुर	400000
43	प्रा० शि० शि० महाविद्यालय, शेरघाटी	गया	400000
44	प्रा० शि० शि० महाविद्यालय, नगरपाड़ा	भागलपुर	400000
45	प्रा० शि० शि० महाविद्यालय, फुलवरिया	भागलपुर	400000
46	प्रा० शि० शि० महाविद्यालय, हवेली खड़गपुर	मुंगेर	400000
47	प्रा० शि० शि० महाविद्यालय, शाहपुर	औरंगाबाद	400000
48	बी० एन० आर० ट्रेनिंग कॉलेज, गुलजारबाग	पटना	400000
49	प्रा० शि० शि० महाविद्यालय, मोकामा	पटना	400000
50	प्रा० शि० शि० महाविद्यालय, सुखासन मनहरा	मधेपुरा	400000
51	प्रा० शि० शि० महाविद्यालय, रामपुर	समस्तीपुर	400000
52	प्रा० शि० शि० महाविद्यालय, शाहपुर, पटोरी	समस्तीपुर	400000
53	प्रा० शि० शि० महाविद्यालय, विष्णुपुर	बेगूसराय	400000
54	प्रा० शि० शि० महाविद्यालय, पताही	मुजफ्फरपुर	400000
55	प्रा० शि० शि० महाविद्यालय, पोखरैरा	मुजफ्फरपुर	400000
56	प्रा० शि० शि० महाविद्यालय, चंदवारा	मुजफ्फरपुर	400000
57	प्रा० शि० शि० महाविद्यालय, सोरहत्या	वैशाली	400000
58	प्रा० शि० शि० महाविद्यालय, बंगरा	सारण	400000
59	प्रा० शि० शि० महाविद्यालय, सासाराम	रोहतास	400000
60	प्रा० शि० शि० महाविद्यालय, घोघरडीहा	मधुबनी	400000
61	प्रा० शि० शि० महाविद्यालय, सीवान	सीवान	400000
62	प्रा० शि० शि० महाविद्यालय, महेन्द्रू	पटना	400000
63	प्रखंड शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, मुसापुर	कटिहार	400000
64	प्रखंड शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, माधोपट्टी	दरभंगा	400000
65	प्रखंड शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, दरियापुर	पूर्वी चम्पारण	400000
66	प्रखंड शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, वाल्मिकीनगर	प० चम्पारण	400000
कुल योग			2,64,00,000

2,64,00,000.00 /—(दो करोड़ चौसठ लाख रुपये) मात्र


(अमित कुमार पुष्पक)
उप सचिव, शिक्षा विभाग।